दिनाँक 30.11.2022

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी नौएडा द्वारा नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र (River Bed) में हो रहे अन्धाधुन्ध अनधिकृत एवं अवैध कॉलोनियों/फार्म हाऊसों के निर्माण को बहुत गम्भीरता से लेते हुए ऐसे अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने और भूमाफियाओं के विरूद्ध एक संयुक्त अभियान के रूप में परिणामपरक कार्यवाही करने हेतु प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं।

इसी अभियान के क्रम में आज दिनाँक 30.11.2022 को प्रातः 9.00 बजे नौएडा के सैक्टर-151 स्थित यमुना नदी के डूब क्षेत्र (River Bed) की ओर ग्राम-कोण्डली बांगर में अवैध एवं अनाधिकृत रूप से डूब क्षेत्र की लगभग क्षेत्रफल-1,20,000.00 वर्ग मीटर भूमि पर बनाये गये 30 फार्म हाउसों/निर्माणों के विरूद्ध वर्क सर्किल-10, नौएडा, भूलेख विभाग, नौएडा एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम की मौजूदगी में बडे पैमानें पर अवैध निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इस पूरी कार्यवाही में नौएडा प्राधिकरण के लगभग 120 छोटे-बड़े कर्मचारी, 09 जेसीबी मशीनें, 8 डम्परों का प्रयोग किया गया। इस भूमि की कीमत लगभग **40 करोड** थी।

नौएडा के डूब क्षेत्र में हो रहे अनधिकृत, अनियोजित एवं अवैध निर्माण का प्रश्नगत मामला अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का था, जिस पर तत्काल कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा ने जनसामान्य को आगाह किया है कि वे नदियों के डूब क्षेत्र (River Bed) एवं नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में काटी जा रही अनधिकृत/अवैध कॉलोनियों एवं फार्म हाऊसों के कारोबार में संलिप्त भूमाफियाओं के चंगुल में न फंसे। यह भी उल्लेखनीय है कि नौएडा के डूब क्षेत्र में कोई भी निर्माण पूर्णतः वर्जित है। ऐसी स्थिति में किसी अवैध फार्म हाउस के क्रय-विक्रय के कार्यो में सम्मिलित न हो। साथ ही उन्होंने ऐसे अनधिकृत एवं अवैध प्लाटिंग, कॉलनाईजेशन में संलिप्त भू-माफियाओं एवं अपराधिक तत्वों को एतद् द्वारा सचेत किया है कि भविष्य में भी डूब क्षेत्र (River Bed) एवं नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में ऐसे अनधिकृत निर्माणों को न केवल पुलिस बलपूर्वक ध्वस्त कराया जायेगा वरन् अनधिकृत निर्माण में संलिप्त पाये गये लोगों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के लिए नौएडा कटिबद्ध है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा ने संबंधित अधिकारियों को डूब क्षेत्र (River Bed) एवं नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने हेतु अविरल गति से अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।